न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : विश्राम मीणा, आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 79 / 2016

अपीलांट–
मोतीराम पुत्र जेरूपाराम
जाति जाट निवासी कौशलू
तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर

बनाम

रेस्पोडेंट्स –
1. श्रीमती पूरों पत्नि दुर्गाराम
2. जांवताराम पुत्र जेरूपाराम
जाति जाट निवासी कौशलू तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर
3. तहसीलदार सिणधरी जिला बाड़मेर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राज0 काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध आदेश दिनांक 02.06.2016 जो ग्राम कौशलू के खसरा नम्बर 79, 237, 238 रकबा क्रमशः 7–08 बीघा, 0–08 बीघा, 56–05 बीघा व ग्राम जेमलाणी सारणों का तला खसरा नम्बर 51 रकबा 29–05 बीघा के विभाजन हेतु तहसीलदार सिणधरी द्वारा पारित किया।

उपस्थिति :–
1. श्री करनाराम चौधरी, अधिवक्ता अपीलांट की ओर से उपस्थित।
2. श्री मोहनलाल चौधरी, अधिवक्ता रेस्पोडेंट सं. 1 की ओर से उपस्थित।
3. श्री जगदीश चौधरी, अधिवक्ता रेस्पोडेंट सं. 2 की ओर से उपस्थित।
4. रेस्पोडेंट सं. 3 प्रफोर्मा पक्षकार।

निर्णय

दिनांक : 15 / 02 / 2021

1. अपीलांट की ओर से यह अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत रेस्पोडेंट तहसीलदार सिणधरी के द्वारा कृषि भूमि के विभाज़न हेतु पारित आदेश दिनांक 02.06.2016 के विरूद्ध पेश की गई हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vish Ram Meena
Date: 2021.02.27 16:03:16 IST
Reason: SelfAttested

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह है कि ग्राम कौशलू के खसरा नम्बर 79, 237, 238 रकबा क्रमशः 7–08 बीघा, 0–08 बीघा, 56–05 बीघा व ग्राम जेमलाणी सारणों का तला खसरा नम्बर 51 रकबा 29–05 बीघा के खातेदारान पुरों बेवा दुर्गा 1/3, मोती, जांवता पिसरान जेरूपा कौम जाट सा0 देह ने प्रार्थना पत्र दिनांक 02.06.2016 तहसीलदार सिणधरी के समक्ष

जिला कलक्टर
बाड़मेर

प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र के संलग्न विभाजन नक्शा अनुसार आपसी रजामंदी व समझौता से भूमि व उस पर बनने वाले लगान का विभाजन करने का निवेदन किया। पक्षकारान की पहचान हल्का पटवारी कौशलू द्वारा की गई तथा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि पक्षकारान के उक्त इकरारनामे की रिकार्ड के आधार पर जांच की गई। वर्णित भूमि उक्त खातेदारों के नाम सह काश्तकारी मे दर्ज है तथा इस इकरारनामे मे भूमि एवं लगान का विवरण सही किया गया है, इसी माफिक सभी पक्षकार सहमत है। इस पर तहसीलदार सिणधरी द्वारा हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पक्षकारान के द्वारा प्रस्तुत विभाजन इकरारनामा स्वीकार कर राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद किये जाने का अपीलाधीन आदेश क्रमांक 310–311 दिनांक 02.06.2016 पारित किया गया। इस आदेश को अपास्त करने हेतु यह अपील इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 13.08.2016 को प्रस्तुत की गई है तथा अपील प्रस्तुत करने मे हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया।

3. अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं अपीलाधीन अभिलेख मंगवाया जाकर अवलोकन किया।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अपीलांट व रेस्पोडेंट्स के अधिवक्तागण को सुना। अपीलांट के योग्य अधिवक्ता ने प्रकट किया कि अपीलांट व रेस्पोडेंट सं. 01 व 02 की संयुक्त खातेदारी भूमि मौजा जेमलाणी सारणों का तला व कौशलू में खसरा सं. 40 रकबा 29–05 बीघा खसरा सं. 79, 237, 238 रकबा क्रमशः 7–08 बीघा, 0–08 बीघा, 56–05 बीघा आयी हुई थी। उक्त खातेदारान ने भूमि का विभाजन करने हेतु तहसीलदार सिणधरी के समक्ष आपसी सहमती से विभाजन प्रस्ताव पेश किया। अपीलांट अनपढ़ व गांव का वृद्ध काश्तकार है जो कानून की बारीकियों को नही समझता है। पटवारी हल्का व रेस्पों. सं. 01 व 02 ने मिलकर उक्त विभाजन मौके की स्थिति के अनुसार नहीं करवाया, जिससे अपीलांट के कब्जे काश्त की भूमि व ढाणी को रेस्पो. सं. 01 व 02 के हिस्से में दे दी गई। इसी तरह से खसरा नं. 2[illegible] भूमि अधिक उपजाउ व डेरी की भूमि है जिसका मौके पर 1/2–1/2 [illegible] अनुसार विभाजन करना था, क्योंकि रेस्पों. सं. 01 को [illegible] का तला में 1/3 हिस्सा की संपूर्ण भूमि दे दी गई थी किन्तु हल्का पटव[illegible] ने इसमें फेरबदल कर रेस्पों. सं. 2 को लाभ देने के उद्देश्य से सही विभाजन नहीं किया है। तहसीलदार

Signature Not Verified
Digitally signed by Vish Ram Meena
Date: 2021.02.27 16:03:16 IST
Reason: SelfAttested

सिणधरी ने उक्त विभाजन प्रस्ताव स्वीकार करने से पूर्व मौका स्थिति की रिपोर्ट नहीं ली तथा न ही मौके की स्थिति का सही आकलन किया गया। हल्का पटवारी द्वारा अपीलांट को अंधेरे में रखकर, द्वेष भावना से, धोखा देने की नियत से विभाजन प्रस्ताव तैयार किया था, जो निरस्त योग्य है।

5. अपीलांट के अधिवक्ता ने यह भी प्रकट किया कि अपीलांट व रेस्पों. सं. 01 व 02 की ढ़ाणियां खसरा सं. 237 में विद्यमान है परन्तु उक्त खसरा पूरा ही रेस्पों. सं. 02 के हिस्से में दे दिया, जिससे विवाद उत्पन्न हो गया तथा उक्त आदेश की आड़ में रेस्पों. सं. 2 द्वारा अपीलांट के कब्जे में निरन्तर हस्तक्षेप किया जा रहा है तथा ढ़ाणी को खाली करवाने हेतु धमकी दे रहा है। अभी बरसात होने पर रेस्पों सं. 02 ने दिनांक 10.08.2016 को अपीलांट के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप करते हुए ढ़ाणी खाली करवाने का कहा तब तहसील सिणधरी आकर बंटवाड़ा की नकल प्राप्त की गई जो दिनांक 12.08.2016 प्राप्त होने पर अपीलाधीन आदेश की सर्वप्रथम जानकारी हुई। इस प्रकार जानकारी होने की तिथी से यह अपील अन्दर मयाद प्रस्तुत की गई है जो उल्लेखित आधार पर विलम्ब को क्षमा कर स्वीकार की जावें तथा अपीलाधीन विभाजन आदेश एवं नामान्तरकरण को अपास्त किये जाने का आदेश फरमाया जावें।

6. रेस्पों. सं. 02 की ओर से अधिवक्ता द्वारा जवाब में प्रकट किया कि तहसीलदार सिणधरी के समक्ष पक्षकारान द्वारा अपने कब्जे काश्त व हिस्सानुसार पूर्व में किये गए बाहमी बंटवाड़ा का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिसके संलग्न बंटवाड़ा नक्शा पेश किया गया। तहसीलदार सिणधरी द्वारा पक्षकारान की स्वतंत्र सहमती उपरांत उक्त बंटवाड़ा प्रस्ताव स्वीकृत किया गया है। अपीलांट द्वारा तहसीलदार के समक्ष किसी प्रकार की उजरदारी, एतराज प्रकट नहीं किया गया। इस पर तहसीलदार द्वारा सभी पक्षकारान की सहमती के आधार पर ही विभाजन का राजस्व नक्शों में अंकन करने हेतु अपीलाधीन आदेश जारी किया गया है। इस आधार पर अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील सारहीन व आधारहीन होने से खारिज योग्य है।

7. हमने अधिवक्ता अपीलांट व रेस्पोंडेन्ट द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं अपीलाधीन अभिलेख का अवलोकन किया जिससे यह पाया जाता है कि मौजा कौशलू के खसरा नम्बर [illegible] 238 रकबा क्रमशः 7–08 बीघा, 0–08 बीघा, 56–05 बीघा व ग्राम जेसलाणी सारणों का तला खसरा नम्बर 51 रकबा 29–05 बीघा के खातेदारान पुरों बेवा दुर्गा 1/3, मोती, जांवता पिसरान जेरूपा कौम जाट सा0 देह ने प्रार्थना पत्र दिनांक 02.06.

Signature Not Verified
Digitally signed by Vish Ram Meena
Date: 2021.02.27 16:03:16 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

2016 तहसीलदार सिणधरी के समक्ष प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र के संलग्न विभाजन नक्शा अनुसार आपसी रजामंदी व समझौता से भूमि व उस पर बनने वाले लगान का विभाजन करने का निवेदन किया। पक्षकारान की पहचान हल्का पटवारी कौशलू द्वारा की गई तथा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि पक्षकारान के उक्त इकरारनामे की रिकार्ड के आधार पर जांच की गई। वर्णित भूमि उक्त खातेदारों के नाम सह काश्तकारी मे दर्ज है तथा इस इकरारनामे मे भूमि एवं लगान का विवरण सही किया गया है, इसी माफिक सभी पक्षकार सहमत है। इस पर तहसीलदार सिणधरी द्वारा हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पक्षकारान के द्वारा प्रस्तुत विभाजन इकरारनामा स्वीकार कर राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद किये जाने का अपीलाधीन आदेश क्रमांक 310–311 दिनांक 02.06.2016 पारित किया गया। इस विभाजन इकरारनामा मे भूमि के विभाजन नक्शा की प्रस्तावित तरमीम की मौका कब्जा अनुसार जांच नही करवाई गई। हल्का पटवारी की ओर से मात्र राजस्व अभिलेख मे सह खातेदारी होने एवं लगान का सही विवरण होने का उल्लेख किया गया है। इस प्रकार तहसीलदार सिणधरी द्वारा खातेदारान की कृषि जोत के विभाजन हेतु राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम, 1955 मे विहित प्रक्रिया का पालन नही किया गया है। अपीलांट के अधिवक्ता द्वारा प्रकट तथ्य अनुसार उनके कब्जे काश्त की भूमि एवं ढ़ाणी रेस्पोडेंट के हिस्से मे अंकित कर दी है। अपीलांट द्वारा प्रकट इस तथ्य की जांच हेतु तहसीलदार सिणधरी से मौका कब्जा की रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार सिणधरी ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 15.01.2021 के संलग्न मौका फर्द दिनांक 12.01.2021 भिजवाते हुए अवगत कराया है कि पक्षकारान का मौका कब्जा संलग्न नजरी नक्शा अनुसार है जबकि विभाजन प्रस्ताव में तरमीम भिन्न प्रस्तावित की गई है जिससे अपीलांट मोतीराम के पुत्र की ढाणी रेस्पों. जांवताराम के हिस्से में आ रही है। मौके पर दोनों खातेदारी के खेत के बीच माठ मौजूद है, जिसके अनुसार उनकी ढ़ाणियां अपने–अपने हिस्से में आ रही है। इस प्रकार मौके पर की गई पैमाईश एवं जांच अनुसार यह भली–भांति साबित है कि अपीलाधीन विभाजन आदेश वास्तविक कब्जे–काश्त अनुसार नही किया गया है। यद्यपि अपीलाधीन कार्यवाही अपीलांट की सहमति से निष्पादित [illegible] अभिलेख पर है किन्तु इस विभाजन के फलस्वरूप पक्षकारान के [illegible] कब्जे काश्त को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया है तथा वास्तविक स्थिति की जानकारी होने पर यह अपील प्रस्तुत की गई है, जो अपील प्रस्तुत करने मे हुए विलम्ब को सद्भाविक मानते हुए क्षमा किया जाना हम उचित मानते है। अधिनस्थ

Signature Not Verified
Digitally signed by Vish Ram Meena
Date: 2021.02.27 16:03:16 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

न्यायालय तहसीलदार सिणधरी द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व मौका कब्जा की जांच नही करने से उक्त विभाजन दूषित एवं विवादित हो गया है, जिसे बहाल रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता है।

8. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील स्वीकार की जाकर रेस्पोडेंट तहसीलदार सिणधरी द्वारा विभाजन स्वीकृति आदेश दिनांक 02.06.16 अपास्त किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार सिणधरी को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि मौका कब्जा एवं पक्षकारान की सहमति अनुसार राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम, 1955 मे यथा विहित प्रावधानों की पालना करते हुए पुनः नये सिरे से विभाजन की कार्यवाही करें।

9. निर्णय आज दिनांक 15.02.2021 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

(विश्राम मीणा)
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलेक्टर
बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Vish Ram Meena
Date: 2021.02.27 16:03:16 IST
Reason: SelfAttested